न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 204/2020
जीसीएमएस नम्बर : 2020/00312

प्रार्थी :–
मनीष राठौड पुत्र मोहनलाल राठौड, जाति घांची निवासी 18 दुर्गा कॉलोनी रामदेव रोड पाली

बनाम

अप्रार्थी :–
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी भादरलाउ तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत भादरलाउ जरिये सरंपच ग्राम पंचायत तहसील रानी जिला पाली
3. जगदीश सिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित, निवासी बापु नगर विस्तार पाली
4. नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी वणदार तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 अनु.
अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अनु.

–: निर्णय :–

दिनांक :– 30.01.2023

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भादरलाउ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में कायम मिसल संख्या 20/1997, सकंल्प संख्या 04 दिनांक 04.06.1998 की पालना में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.06.1998 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को बार–बार आवाजें दिलवाई गई इसके बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी एक जागरूक नागरिक है और सरकारी भूमि के संबध में उसके हित अधिकार जुडे हुए है जिसके कारण वादग्रस्त पट्टा की भुमि के संबध में प्रार्थी के भी हक, हित अधिकार प्रभावित होते है, इसलिए प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है, जिसके आधार पर प्रार्थी की और से प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त निगरानी पेश की है कि ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा जारी किया है जिसे अप्राथी संख्या 1 बेचान करना बताता है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या तीन व चार को जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि का बेचान कर उसमें व्यवसायिक दुकानों का

जिला कलक्टर, पाली

निर्माण कर रहे है और पट्टे की भुमि को भूखण्डों में विभाजित कर बेचाण कर रहे है। जैर निगरानी के पट्टे के संबध में प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से रेकर्ड चाहा गया। ग्राम पंचायत ने अपने पत्रांक ग्राम.पं/भादरलाउ/366/2020 दिनांक 10.09.2020 के द्वारा अवगत करवाया कि जैर निगरानी के संबध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नही किया गया है क्योंकि जैर निगरानी भूमि सरकारी भुमि है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से मिलीभगत कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी पट्टा जारी करवा कर सरकारी भुमि पर कब्जा कर लिया है एवं उस पर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण एवं भुखण्ड बना कर बेचान कर रहे है जैर निगरानी भूमि के संबध में तहसीलदार रानी के प्रकरण संख्या 42/2020 अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये जिसके तहत उक्त जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग रानी की होनी बताई है एंव तहसीलदार रानी के प्रकरण संख्या 01/2018 बअनवान सरकार बनाम जगदीशसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 90(ए) सपठित धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12.09.2019 को निर्णय पारित कर जैर निगरानी आराजी सरकारी भुमि माना एवं सरकार के कब्जे में लेने का आदेश पारित किया गया था लेकिन आदेश के बावजुद भी अप्रार्थीगण की मिलीभगत से उक्त आराजी पर अप्रार्थीगणों ने पुनः अपना कब्जा कर लिया एवं निर्माण कार्य कर बेचान पर उतारू है एवं मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन कर रहे है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का तथाकथित पट्टा 29 दिनांक 21.06.1998 जो ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा जारी ही नही किया गया था जिसकी आड में अप्रार्थीगण सरकारी भुमि पर अतिक्रमण कर बेचान एवं निर्माण कर रहे है ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, क्योंकि जब तक तथाकथित पट्टा खारिज नही किया जायेगा तब तक अप्रार्थी संख्या एक,तीन एवं चार कुटरचित पट्टे को आधार मानकर उक्त भूमि पर निर्माण एवं बेचान करते रहेंगे। तथाकथित पट्टा जारी करने के संबध में पंचायत द्वारा किसी प्रकार के पंचायत नियमों को नही अपनाया गया है क्योंकि ग्राम पंचायत में पट्टा जारी करते समय एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में एक विधिवत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है एंव जिसके आधार पर पंचायत में मिसल कायम कर मौका निरीक्षण करने हेतु एवं पंचो की कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण कर विधिवत प्रक्रिया को अपनाते हुए पंचायत नियमों में योग्य पाये जाने पर पट्टा जारी किया जाता है, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख ग्राम पंचायत के कार्यालय द्वारा नही किया गया है, जिसमें स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा सख्या 29 दिनांक 21.06.1998 खारिज योग्य है अतः निगरानी स्वीकार कराकर ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 20/1997, सकल्प संख्या 04 दिनांक 04.06.1998 की पालना में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.06.1998 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी में प्रार्थी का कोई हित प्रभावित नही होता है। परन्तु न्यायालय के संज्ञान में आने से न्यायालय सुमोटो जैर निगरानी में मेरिट के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम है। प्रकरण के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा जारी मिसल संख्या 20/1997 संकल्प संख्या 4 दिनांक 04.06.1998 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.06.1998 के संबध में ग्राम पंचायत भादरलाउ से रेकर्ड मांगने पर ग्राम पंचायत भादरलाउ ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा कभी जारी ही नही किया है क्योंकि उक्त भूमि सरकारी है, अतः जैर निगरानी से संबधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही

जिला कलक्टर, पाली

है। जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुरूप नही होने से जैर निगरनानी पट्टे को यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 20/1997 संकल्प संख्या 04 दिनांक 04.06.1998 की पालना में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.06.1998 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत भादरलाउ को भिजवाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली